

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 18/2021

GCMS No-2021/18

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थी :-
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली हाल बासंवाड़ा		अशोक कुमार पुत्र श्री चुतराराम मेघवाल निवासी स्कूल के पीछे लालकी तह.रोहट जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011
उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रेवतसिंह केशरिया उपस्थित

—: निर्णय :-

दिनांक:- 23-6-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। दिनांक 30.10.2020 को दौराने गश्त पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में मिली सूचना पर टीम के साथ लालकी स्कूल के पीछे अशोक कुमार पुत्र चुतराराम मेघवाल के घर पहुंचा वहां पर अशोक कुमार उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी गवाहान व टीम की उपस्थिति में खाद्य सामग्री रखे हुए फ्रिजर का निरीक्षण करने पर पाया कि फ्रिजर में लगभग 20 किलो पनीर बिक्री हेतु रखा हुआ था, जिसे अप्रार्थी आमजन को बिक्री कर रहा था, जिसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हूं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में वहा पर फ्रिज में रखे हुए पनीर के बट्टे में से एक किलोग्राम पनीर वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 200/-रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा पनीर को विक्रेता के सामने चार भागों में बांटकर चार साफ सुखी व खाली शीशी में बराबर मात्रा में डालकर उसमें 20-20 बूंद फार्मेलिन की बतौर प्रीजरवेटीव डालकर प्रत्येक शीशी को



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

एयर टाईट बंद कर दिया और प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर-1115 अंकित कर नमुने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता एवं मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, जिसे नियमानुसार पैक कर कार्यालय के कर्मचारी श्री किशोर पाण्डे के द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाच रिपोर्ट संख्या एलएस/638/एक्ट/2020/638 दिनांक 7.11.2020 के अनुसार अप्रार्थी के घर से लिया गया पनीर का नमुना क्रमांक आर-1115 (Sub Standard) अवमानक स्तर का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी अशोक कुमार ने Sub Standard स्तर के पनीर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के घर से लिया गया पनीर का नमूना जो जाच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था उसमें विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। सम्पूर्ण परिवाद पढ़ने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने पनीर का नमूना अवमानक जैसा कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए अप्रार्थी को दोषमुक्त कर प्रकरण ड्रॉप करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली द्वारा अप्रार्थी अशोक कुमार से नमुना क्रमांक आर-1115 पनीर का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.10.2020 को अप्रार्थी के घर से पनीर क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमुना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./638/एक्ट/2020/638 दिनांक 7.11.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-1115 पनीर का नमूना (Sub Standard) अवमानक स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) के पनीर का



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राजस्थान)

विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 15,000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 23-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
 (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
 (राजस्थान)